सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2016-17

हिमाचल प्रदेश सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2016-17

महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2016-17 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के उन्नीसवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है जो सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्तीय लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है।

वित्तीय लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त-विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु वार्षिक वित्तीय तथा विनियोग लेखाओं को तैयार किया गया है।

हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

(कुलवंत सिंह)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

शिमला

दिनांकः 09 जनवरी 2018

दृष्टिकोणः-

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत अग्रसर हैं और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय-बद्ध रिपोर्टिंग हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्यः-

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता हैं तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सदभाव-पूर्ण अभिशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों, विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्यः-

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु सन्दर्भिका प्रदान करते हैं।

- स्वतन्त्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

अध्याय I	**अधिदृष्टि**	**पृष्ठ**
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	1-2
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	3-4
1.4	निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग	4-6
1.5	वर्ष 2016-17 में वित्तीय आकर्षण	7-8
1.6	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	8-10
अध्याय II	**प्राप्तियां**	
2.1	भूमिका	11
2.2	राजस्व प्राप्तियां	11-13
2.3	कर राजस्व	13-15
2.4	कर वसूली में दक्षता	16
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पांच वर्षो का रूझान	16
2.6	सहायता-अनुदान	17
2.7	लोक ऋण	18
अध्याय III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	19
3.2	राजस्व व्यय	19-21
3.3	पूंजीगत व्यय	21-22
अध्याय IV	**योजनागत तथा आयोजनेतर व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण	23
4.2	योजनागत व्यय	23-24
4.3	आयोजनेतर व्यय	24-25
4.4	प्रतिबद्ध व्यय	25-26
अध्याय V	**विनियोग लेखे**	
5.1	वर्ष 2016-17 के लिए विनियोग लेखों का सारांश	27
5.2	विगत पांच वर्षो में बचत/आधिक्य का रूझान	27
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	28-31
अध्याय VI	**परिसम्पतियां तथा दायित्व**	
6.1	परिसम्पतियां	32
6.2	ऋण तथा देनदारियां	32-33
6.3	प्रतिभूतियां	33

अध्याय VII	**अन्य मदें**	
7.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	34
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	34
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	34-35
7.4	रोकड़-शेष तथा रोकड़-शेष का निवेश	35
7.5	लेखाओं का समाधान	35
7.6	लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रेषण	36
7.7	अग्रिम भुगतान	36
7.8	उचन्त शेषों की स्थिति	36-37
7.9	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति	37
7.10	अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यो बारे वचनबद्धता	37-38

अध्याय-I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिमाचल प्रदेश विभिन्न अभिकरणों/एजेसियों द्वारा संग्रहित, वर्गीकृत,एवं लेखा सामग्री को संकलित करने तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य करता है। यह संकलन जिला खजानों, लोक निर्माण मण्डलों, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों व वन मण्डलों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारम्भिंक लेखाओं तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञापनो पर आधारित होता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रतिमाह एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सरकार के व्यय की गुणवता एवं महत्वपूर्ण वित्तीय सकेतकों की तिमाही टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखा-परीक्षण करने तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) संकलित इन लेखाओं से वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे तैयार करता है जिन्हें राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को निम्नलिखित तीन भागों में रखा जाता है:-

सरकारी लेखाओं की संरचना	
भाग- I **समेकित निधि**	कर तथा गैर -कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिए गए ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सरकार की समस्त खर्चों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।
भाग- II **आकस्मिकता निधि**	विधानपालिका द्वारा प्राधिकरण के अधीन यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय के लिए खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि से की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 5.00 करोड़ है।
भाग- III **लोक लेखा**	समेकित निधि को क्रेडिट की जाने वाली राशि के अलावा अन्य प्राप्त सभी लोक धन राशियों को लोक-लेखा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसी प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा के अन्तर्गत समाहित है । लघु बचतों तथा भविष्य-निधियों जैसी वापसियां, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम, उचन्त तथा विविध लेन देन (अन्तिम लेखा शीर्षो में बुकिंग के अधीन समायोजन प्रविष्टियां) लेखाकरण सत्ता के बीच सम्प्रेषण तथा रोकड़ शेष।

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख

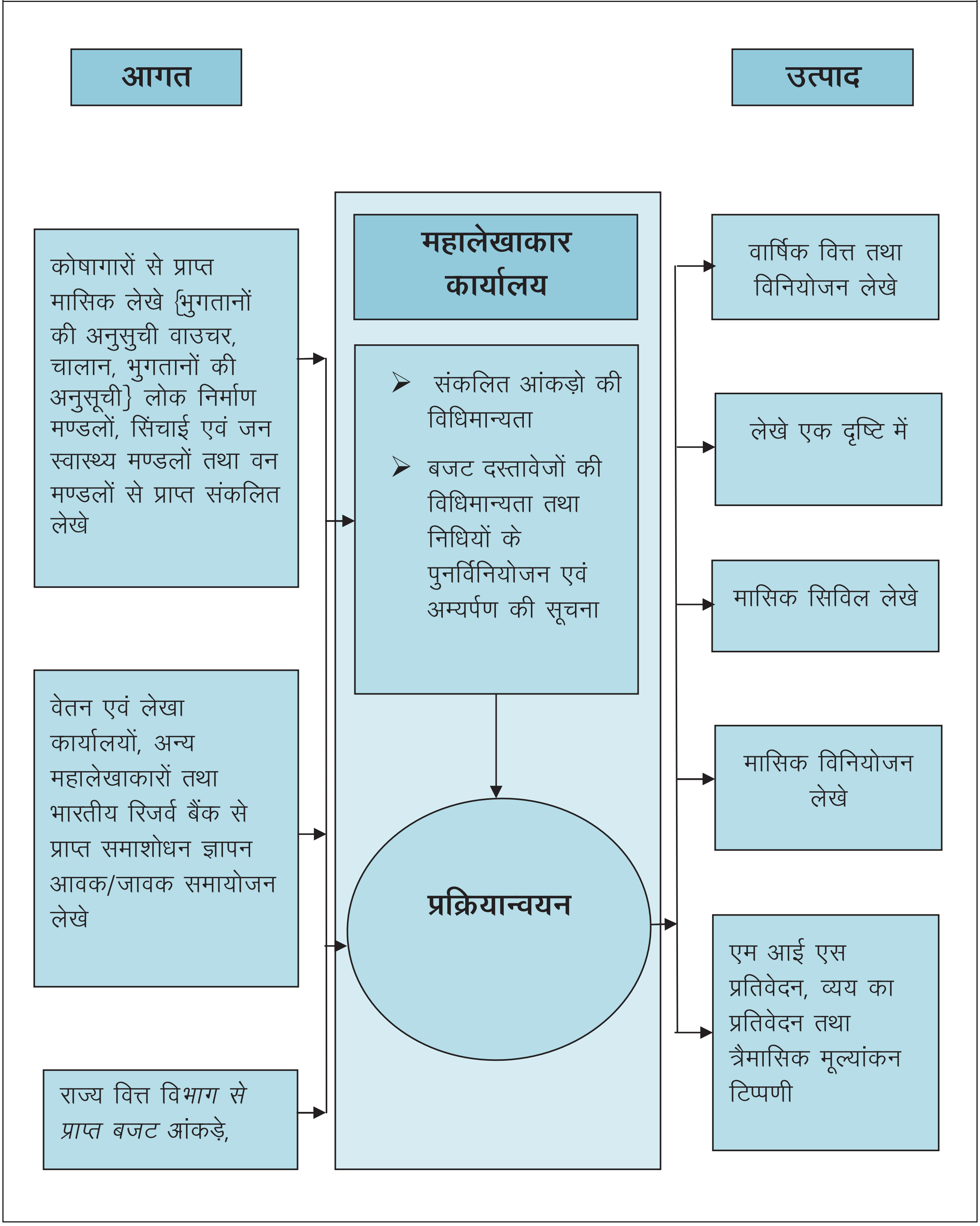

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक - लोक शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित की जाती हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-I में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं सार्थक लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अन्तर्गत विस्तृत विवरणियां (भाग-I) तथा परिशिष्ट (भाग-II) समावेश किया जाता हैं ।

वित्त लेखे 2016-17 के अन्तर्गत दर्शाई गई हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण निम्नलिखित हैः-

वर्ष 2016-17 में प्राप्तियां तथा संवितरण			(₹ करोड़ में)
प्राप्तियाँ	**कुल प्राप्तियाँ**		**32133**
	राजस्व	कर राजस्व	11383
		गैर कर-राजस्व	1717
		सहायता अनुदान	13164
		राजस्व प्राप्तियां	***26264***
	पूंजीगत	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	29
		उधार तथा अन्य दायित्व*	5840
		अन्य प्राप्तियां	-
		पूंजीगत प्राप्तियां	5869
संवितरण	**कुल संवितरण**		**32133**
	राजस्व		25344
	पूंजीगत		3499
	ऋण एवं अग्रिम		3290

* उधारी तथा अन्य दायित्वः निवल (प्राप्तियां - संवितरण) लोक ऋण + निवल आकास्मिकता निधि + निवल (प्राप्तियां - संवितरण) लोक लेखा + निवल प्रारम्भिक तथा समापन रोकड़ शेष।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा सम्बन्धित वर्ष हेतु अनुमोदित व्यय के अतिरिक्त राज्य में विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन एजैंसियों/गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। ऐसे अन्तरणों (इस वर्ष ₹ 457 करोड़ की राशि) को राज्य सरकार के लेखों में दर्शाया नहीं गया है, अपितु वित्त-लेखे के खण्ड- II में परिशिष्ट- VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के बजट में 15 प्रभारित विनियोजन तथा 32 दत्तमत अनुदान है। विनियोग लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोग के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के सम्मुख हिमाचल प्रदेश सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत व्यय में कटौती के कारण ₹ 486 करोड़ (प्राक्कलनों का 22.66 *प्रतिशत*) की सकल बचत तथा ₹ 454 करोड़ (प्रावकलनों का 1.24 *प्रतिशत*) के अव-प्राक्कलनों को दर्शाया गया है। न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, भू-राजस्व और जिला प्रशासन, पुलिस और सम्बन्ध संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, लोक निर्माण-सड़क, पुलों तथा भवन, योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना, उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रद्यौगिकी, ग्रामीण विकास, सहकारिता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण, शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास, जनजातीय विकास एवं अनुसूचित जाति उपयोजना से सम्बन्धित कुछ अनुदानों के अर्न्तगत प्रचुर बचत प्रदर्शित किए गए हैं।

1.4 निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्ब बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1671 करोड़ की राशि ली गई तथा ₹ 1671 करोड़ वापिस किए गए।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिजर्ब बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेष में ₹ 0.55 करोंड़ से कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम के पश्चात् ओवर ड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2016-17 के दोरान राज्य सरकार द्वारा कोई भी ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणिका

31 मार्च 2017 को राज्य का राजस्व- आधिक्य ₹ 920 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 5840 करोड़ था। राजकोषीय घाटा की पूर्ति निवल लोक ऋण (₹ 4660 करोड़), लोक लेखा में बढौतरी (₹1078 करोड़) तथा आदि तथा अन्त शेष में निवल बढौतरी (₹ 102 करोड) द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 26264 करोड़) का लगभग 68 *प्रतिशत* वेतनों (₹ 9356 करोड़), ब्याज-अदायगियों (₹ 3359 करोड़), तथा पैंशन (₹ 4114 करोड़) और उपदान (₹ 764 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 326 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्यय पर खर्च हुआ।

निधियों का स्रोत तथा अनुप्रयोग		(₹ करोड़ में)
	विवरण	**राशि**
स्रोत	01 अप्रैल 2016 को आरम्भिक रोकड़ शेष	(-)341
	राजस्व प्राप्तियां	26264
	पूंजीगत प्राप्तियां	--
	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	29
	लोक ऋण	8603
	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3402
	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	249
	प्राप्त जमा	2665
	चुकता किए गए सिविल अग्रिम	63
	उचन्त लेखे	25867*
	सम्प्रेषण	6451
	योग	**73252**
प्रयुक्त	राजस्व व्यय	25344
	पूंजीगत व्यय	3499
	दिए गए ऋण	3290
	लोक ऋणो की अदायगी	3943
	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2198
	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	249
	प्राप्त जमा	2483
	दिए गए सिविल अग्रिम	62
	उचन्त लेखे	26141**
	सम्प्रेषण	6486
	31 मार्च 2017 को अन्तिम रोकड़ शेष	(-)443
	योग	**73252**

* ₹ 25067 करोड रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

** ₹ 25269 करोड रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया

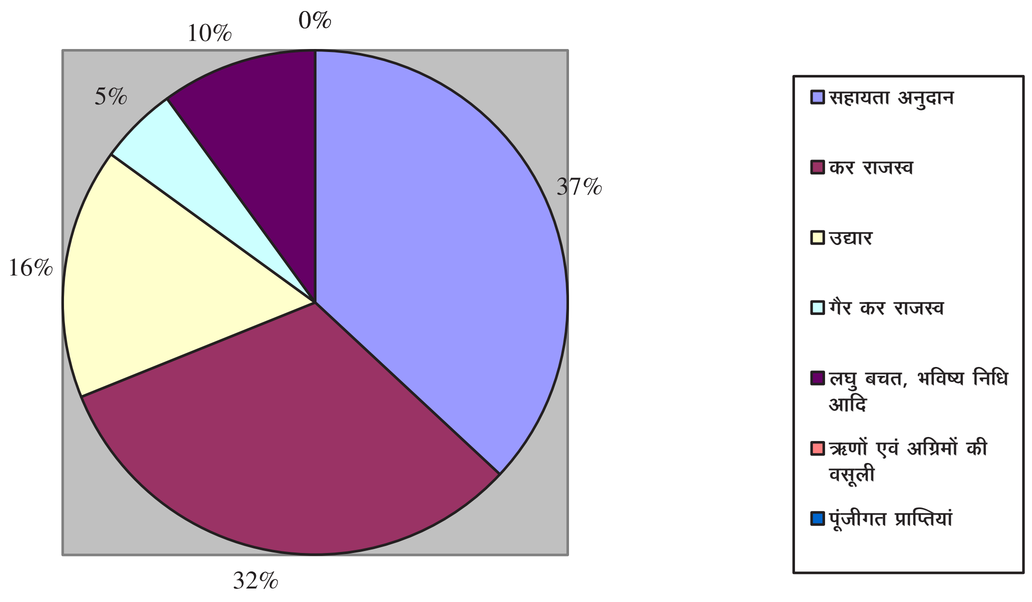

(ऋणों व अग्रिमों की वसूली केवल ₹ 29 करोड़ थी जो कि नगणय थी अतः मूल्य शून्य दर्शाया गया है)

1.4.5 ₹ कहां गया

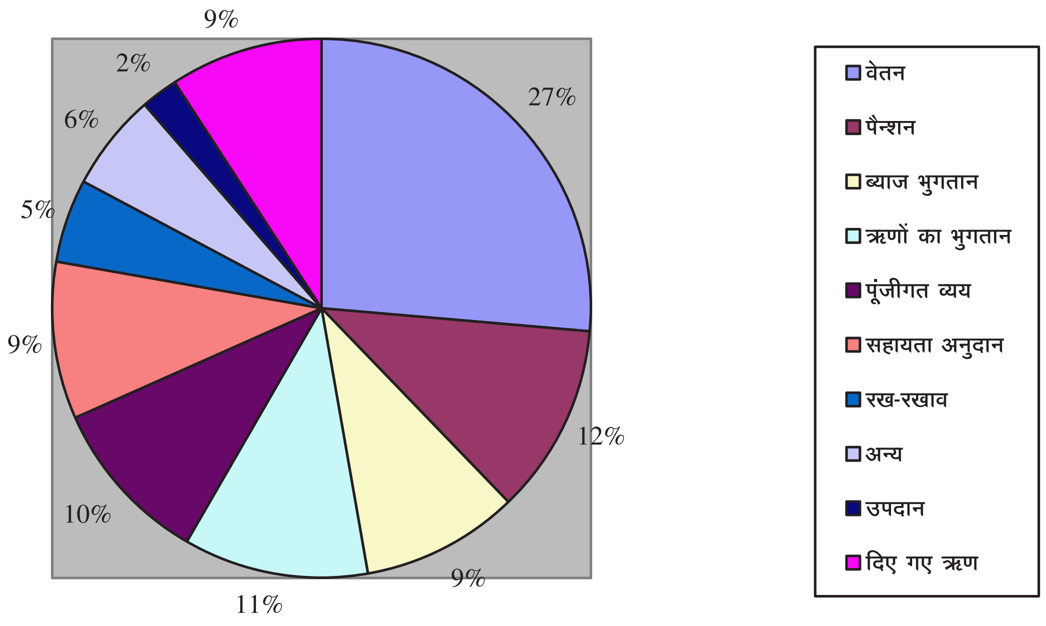

(उपरोक्त चार्ट में दर्शाये गए आंकड़े पैसे दर्शाते है)

1.5 वर्ष 2016-17 में वित्तीय आर्कषण

(₹ करोड़ में)

क्र0 स0	विवरण	बजट प्राक्कलन 2016-17	वास्तविक आंकड़े 2016-17	बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी0डी0पी0 के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता (#)
1.	कर राजस्व (क)	11803	11383	96	9
2.	गैर कर-राजस्व	1668	1717*	103	1
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	12799	13164	103	11
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**26270**	**26264***	**100**	**21**
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	19	29	153	--
6.	अन्य प्राप्तियां	--	--	--	--
7.	उधार तथा अन्य दायित्व (ख)	4076	5840	143	5
8.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**4095**	**5869**	**143**	**5**
9.	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**30365**	**32133**	**106**	**26**
10	आयोजनेतर व्यय (11+13)	22627	21208	94	17
11.	राजस्व-लेखा पर आयोजनेतर व्यय	22276	20824	93	17
12.	मद संख्या 11 में से ब्याज अदायगियों पर आयोजनेतर व्यय	3400	3359	99	3
13.	पूंजीगत लेखा पर आयोजनेतर व्यय	351	384	109	--
14.	योजनागत व्यय (15+16)	7310	7635	104	6
15.	राजस्व लेखा पर योजनागत व्यय	4470	4520	101	4
16.	पूंजीगत-लेखा पर योजनागत व्यय	2840	3115	110	3
17	**कुल व्यय (10+14+20)**	**30365**	**32133**	**106**	**26**
18.	**राजस्व व्यय (11+15)**	**26746**	**25344**	**95**	**20**
19.	**पूंजीगत व्यय (13+16)**	**3190**	**3499**	**110**	**3**
20.	**ऋणों तथा अग्रिम**	**428**	**3290****	**769**	**3**
21.	**राजस्व घाटा (-) राजस्व आधिक्य (+)(18-4)**	**(-)476**	**(+)920**	**293**	**1**
22.	**राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)**	**(-)4076**	**(-)5840**	**(-)143**	**5**

(क) संघीय करों ₹ 4344 करोड़ के राज्य-भागों सहित (राज्य सरकार की कर प्राप्तियाँ ₹ 7039 करोड़ थी जो कि जी एस डी पी का 6 *प्रतिशत* है।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता व्यय निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष की शुद्ध राशि।

सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 124570 करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से लिए गये क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट पर उपलब्ध नहीं है।

* बुक-समायोजन द्वारा ₹ 1 करोड़ की राशि शामिल है।

** ऋण तथा अग्रिम योजनागत (₹ 3160 करोड़) + ऋण तथा अग्रिम आयोजनेतर (₹ 130 करोड़)

वर्ष 2016-17 में ₹ 920 करोड़ का राजस्व आधिक्य (वर्ष 2015-16 में ₹ 1138 करोड़ आधिक्य) तथा ₹ 5840 करोड़ का राजकोषीय-घाटा (वर्ष 2015-16 में ₹ 2164 करोड़ घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1 *प्रतिशत* तथा 5 *प्रतिशत* है। राजकोषीय घाटा समग्र व्यय का 18 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?	
घाटा	राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्तपोषित कैसे हो तथा निधियों का अनुपयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता व सूझ-बूझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।
राजस्व घाटा /आधिक्य	राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिये
राजकोषीय घाटा /आधिक्य	सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। यह अन्तर इसलिए यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेषित किया जाना चाहिए।

1.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत् राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अवधी में राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। वर्ष 2016-17 के दौरान अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्य तथा नियमों की उपलब्धि निम्नलिखित थीः-

क्रम संख्या	**वित्तीय मापदण्ड**	**वास्तविक (₹ करोड़ में)**	**जीएसडीपी का अनुपात***	
			लक्ष्य	**उपलब्धि**
1	राजस्व घाटा	920 (आधिक्य)	वर्ष 2011-12 में समाप्त करना	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किया गया
2	राजकोषीय घाटा	5840	3.00 या कम	4.69 (लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ)
3	ऋण तथा अन्य दायित्व	47244	40.1	37.93 (लक्ष्य प्राप्त हुआ)
4	परादेय प्रति भूतियां	4550	गत वित्तिय वर्ष की राजस्व प्राप्ति के 40% से कम	19% (लक्ष्य प्राप्त किया)

* सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ *124570* करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से लिए गये क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट पर उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकार के आवश्यक उदघोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जो कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत् विवरणो को दर्शाना अनिवार्य था।

वर्ष 2015-16 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 1138 करोड़ था और वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 920 करोड़ हो गया जोकि एफ. आर. वी. एम. अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप था । वर्ष 2015-16 में ₹ 2164 करोड़ के राजकोषीय घाटे में ₹ 3676 करोड़ की वृद्वि के कारण चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा ₹ 5840 करोड़ रहा यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.69 *प्रतिशत* के बराबर था जो कि संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य 3 *प्रतिशत* से अधिक है। 31 मार्च 2017 को परादेय ऋण ₹ 47244 करोड़, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37.93 *प्रतिशत* है जो परादेय ऋण को कम करने के लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40.1 *प्रतिशत* के भीतर है,। इसी प्रकार परादेय प्रतिभूतियों की राशि के लक्ष्य को पिछले वर्ष 2015-16 के सकल राजस्व प्राप्तियाँ के 40 प्रतिशत से कम बनाए रखना है जो कि 31 मार्च 2017 को ₹ 4550 करोड़, पिछले वर्ष 2015-16 के सकल राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 23440 करोड़) की 19 *प्रतिशत* है।

1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य के रूझान

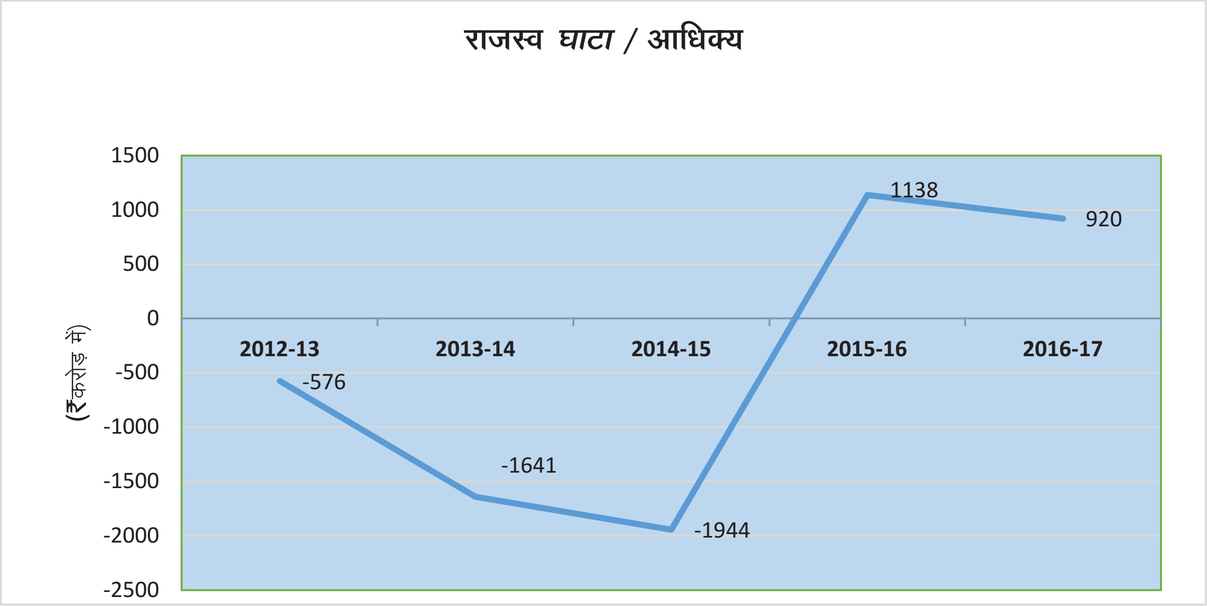

1.6.2 *राजकोषीय घाटे का रूझान*

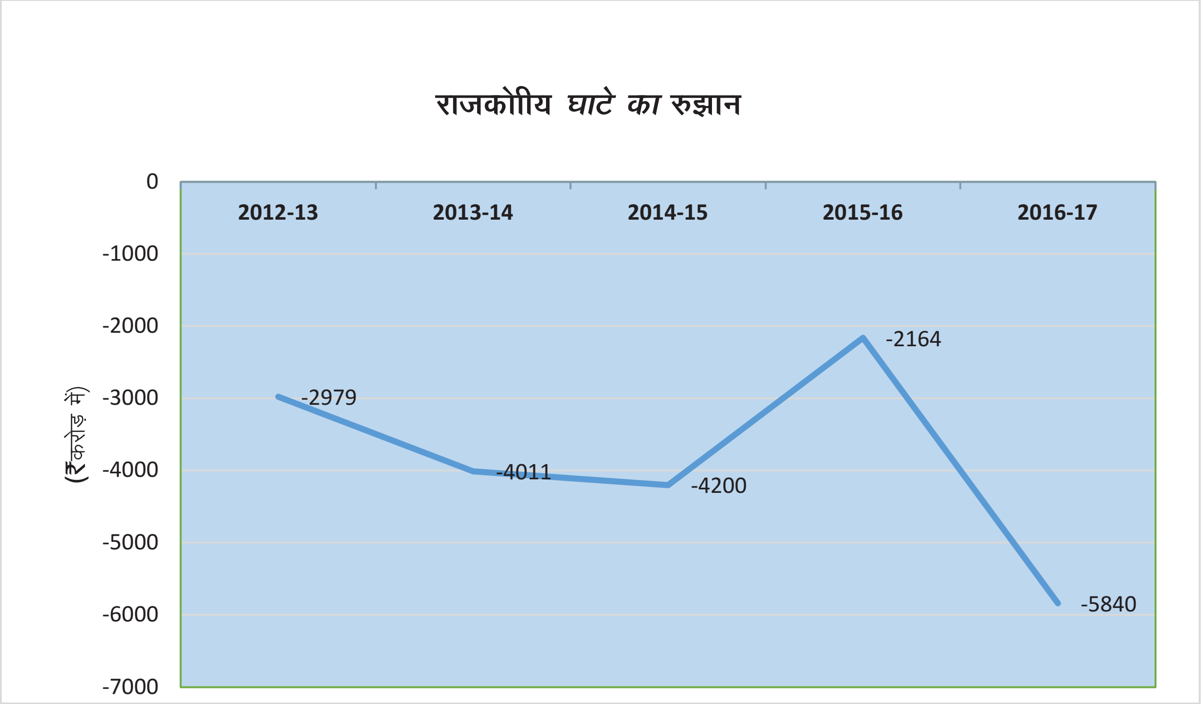

1.6.3 *पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात*

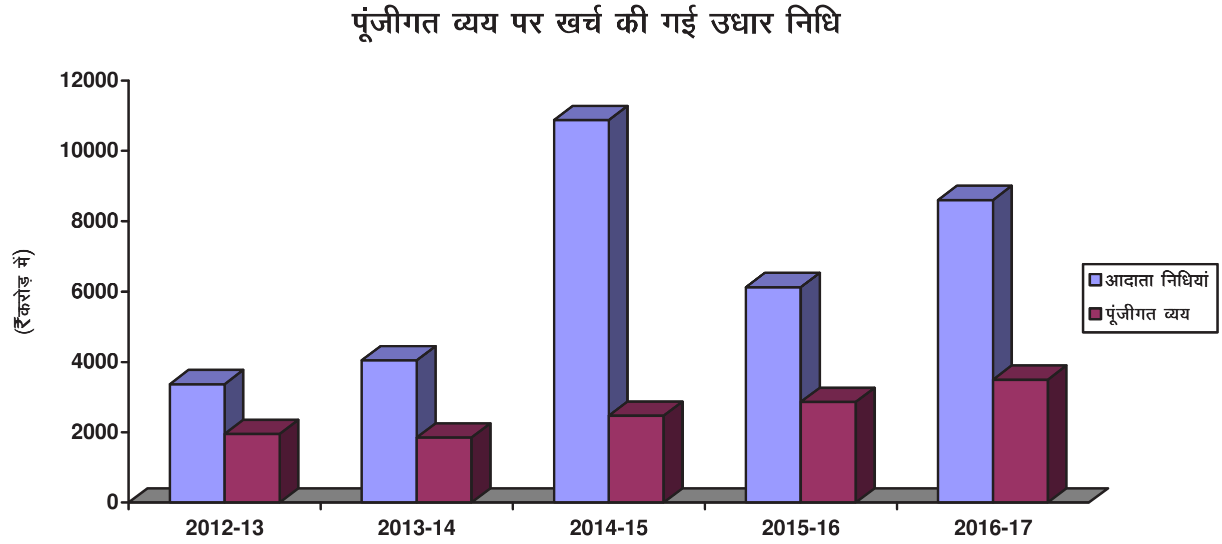

सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे का चली जाती है तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ाचे के निर्माण के लिए तथा पूंजीगत/परिसम्पतियों के निर्माण के लिए ऋण लेती है। अतएव ऋणों द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके। इस प्रकार पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु ऋणों के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापिसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों के इस्तेमाल आपेक्षित है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केवल पूंजीगत व्यय पर ₹ 3499 करोड़ का खर्च किया गया है जो चालू वर्ष का गृहित-निधि (₹ 8603 करोड़) का केवल 41 *प्रतिशत* था। अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उद्यार का शेष ₹ 3943 करोड़ पिछले वर्षो के लोक ऋण पर मूल राशि तथा ब्याज की अदायगी पर उपयोग किया गया है।

अध्याय- II

प्राप्तियां

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2016-17 में कुल प्राप्तियां ₹ 32133 करोड़ थी ।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं :- कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदान सहायता अनुदान।

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होते है।
गैर कर-राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते है।
सहायता अनुदान	सहायता अनुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रगत-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं । इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध "वैदेशिक सहायता अनुदान" भी शामिल है । बदले में, राज्य - सरकार पंचायती राज संस्थान, स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है ।

राजस्व-प्राप्तियां

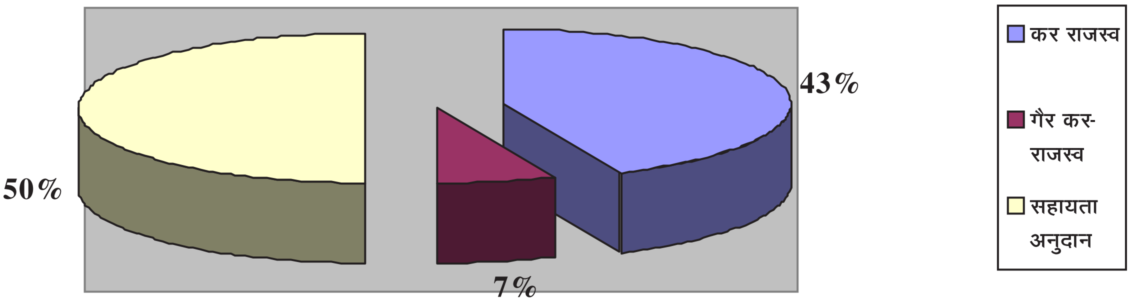

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2016-17)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकडे
क. कर-राजस्व	**11383**
आय व व्यय पर अन्य कर	2362
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	220
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	8801
ख.गैर कर-राजस्व	**1717**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	435
सामान्य सेवाएं	182
सामाजिक सेवाएं	195
आर्थिक सेवाएं	905
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	**13164**
सकल राजस्व प्राप्तियां	**26264**

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर राजस्व	6908 (10)	*7612 (9)*	*8584 (9)*	*10307 (9)*	*11383 (9)*
गैर कर-राजस्व	1377 (2)	*1785 (2)*	*2081 (2)*	*1837 (2)*	*1717 (1)*
सहायता अनुदान	7313 (10)	*6314 (8)*	*7178 (8)*	*11296 (10)*	*13164 (11)*
कुल राजस्व प्राप्तियां	15598 (22)	*15711 (19)*	*17843 (19)*	*23440 (21)*	*26264 (21)*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	72076	82585	95587	110511	124570

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

हांलाकि वर्ष 2016-17 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 13 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में बढोतरी केवल 12 *प्रतिशत* ही थी । कर राजस्व 10 *प्रतिशत* तक बढा जबकि गैर कर-राजस्वों में 7 *प्रतिशत* तक की कमी

देखी गयी तथा सहायता अनुदान में पिछले वर्ष के मुकाबले 17 *प्रतिशत* की वृद्वि देखी गयी। जिस से राज्य की राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकुल असर पड़ा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियों के घटक

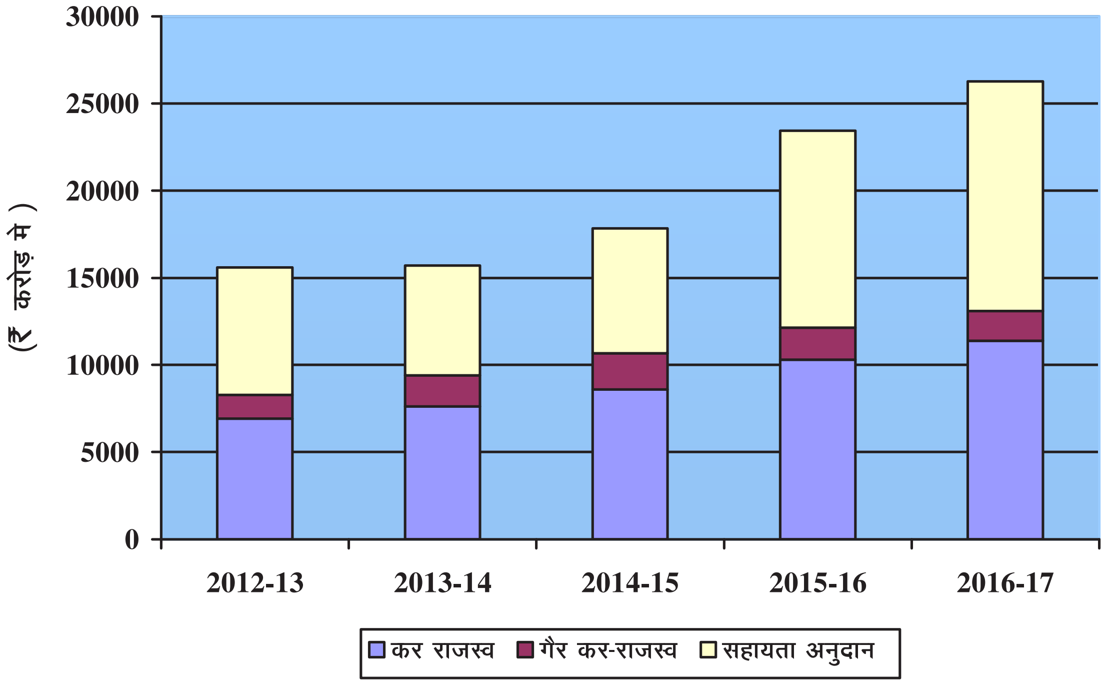

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार राजस्व प्राप्तियां					
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आय व व्यय पर अन्य कर	1310	1390	1583	1922	2362
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर व्यय	198	200	210	213	220
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	5400	6022	6791	8172	8801
सकल कर राजस्व	**6908**	**7612**	**8584**	**10307**	**11383**

वर्ष 2016-17 में सकल कर राजस्व में बढोतरी भारत सरकार से राज्य अंश प्राप्त होने व मुख्यत: निगम कर (₹ 1393 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर (₹ 968 करोड़), संघीय आबकारी शुल्क (₹ 684 करोड़), बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर (₹ 4382 करोड़) राज्य आबकारी शुल्क (₹ 1308 करोड़) अधिक एकत्रीकरण के कारण हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में मुख्य करों का रूझान

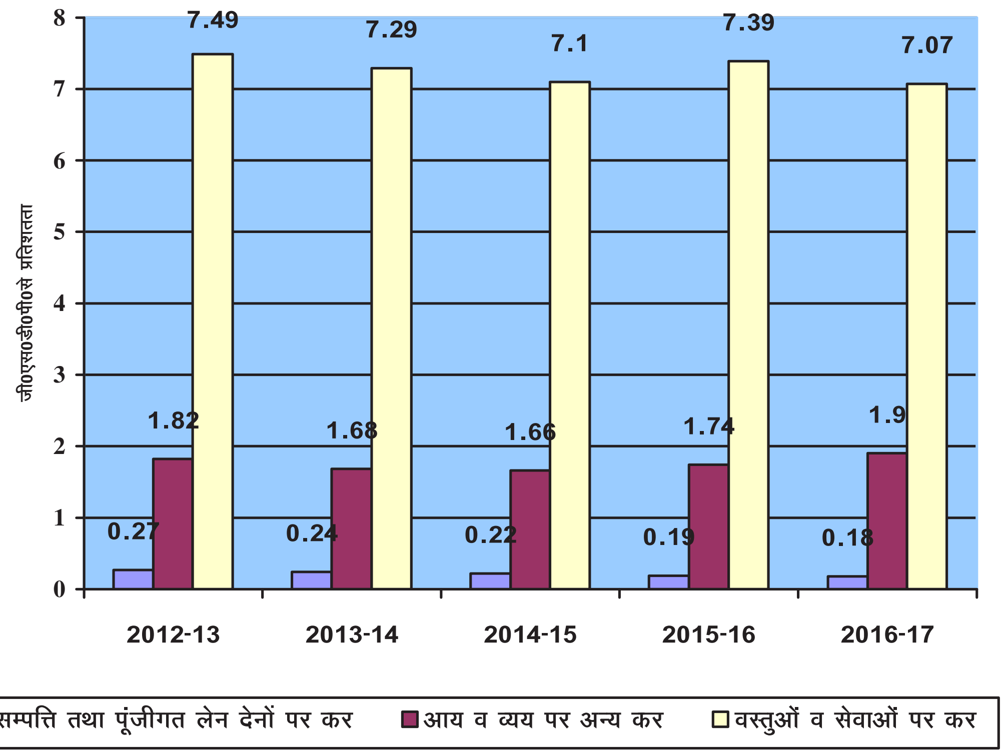

2.3.1 राज्य का निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व मुख्यतः दो स्त्रोतों से आता हैं :- राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों में राज्य का अंश।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों /शुल्क में राज्य का अंश	राज्य द्वारा निजी कर	
			कर राजस्व	जी0एस0डी0पी0से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012-13	6908	2282	4626	6.42
2013-14	7612	2491	5121	6.20
2014-15	8584	2644	5940	6.21
2015-16	10307	3611	6696	6.06
2016-17	11383	4344	7039	5.65

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षो के दौरान कर राजस्व के दो मुख्य स्त्रोतों की आय को दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राज्य का निजी कर संग्रहन	4626	5121	5940	6696	7039
संघीय करों में राज्य का अंश	2282	2491	2644	3611	4344
सकल कर राजस्व	**6908**	**7612**	**8584**	**10307**	**11383**
सकल कर राजस्व में राज्य के निजी कर का प्रतिशत	*67*	*67*	*69*	*65*	*62*

राज्य के अपने कर संग्रहण के अनुपात में कर राजस्व वर्ष 2012-13 से 2013-14 के दौरान लगातार 67 प्रतिशत पर स्थिर रहा वर्ष 2014-15 में 69 प्रतिशत की वृद्धि और 2015-16 में 65 प्रतिशत की कमी तथा वर्ष 2016-17 में दोवारा 62 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई ।

2.3.2 पिछले पॉच वर्ष के दौरान राज्य के निजीकर संग्रहन का रूझान

(₹ करोड़ में)

कर	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2728	3141	3660	3993	4382
2. राज्य आबकारी शुल्क	810	952	1044	1131	1308
3. वाहनों पर कर	196	208	220	317	280
4. स्टाप और पंजीकरण शुल्क	173	187	191	206	209
5. विद्युत पर कर एवं शुल्क	263	191	333	551	372
6. भूमि राजस्व	24	10	17	7	8
7. वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	101	105	110	115	121
8. अन्य कर	331	327	365	376	359
सकल राज्य का निजी कर	**4626**	**5121**	**5940**	**6696**	**7039**

2.4 कर वसूली में दक्षता

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	2728	3141	3660	3993	4382
संग्रहण पर व्यय	3	11	3	4	4
कर वसूली में दक्षता	0.12 %	0.35%	0.08%	0.10%	0.09 %
2. राज्य आबकारी शुल्क					
राजस्व वसूली	810	952	1044	1131	1308
संग्रहण पर व्यय	3	3	4	4	6
कर वसूली में दक्षता	0.37 %	0.32%	0.38%	0.35%	0.46 %
3. वाहन, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर					
राजस्व वसूली	297	313	330	432	401
संग्रहण पर व्यय	30	32	37	41	42
कर वसूली में दक्षता	10.10 %	10.22%	11.21%	9.49%	10.47 %
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व वसूली	173	187	191	206	209
संग्रहण पर व्यय	1	1	2	2	23
कर वसूली में दक्षता	0.58 %	0.53%	1.05%	0.97%	11.00%

अन्य करो के मुकाबले वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर एवं स्टॉप तथा पंजीकरण शुल्क के संग्रहण पर व्यय अत्यिधक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
निगम कर	820	838	923	1136	1394
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	491	552	659	787	968
सम्पत्ति कर	1	2	3	--	3
सीमा शुल्क	379	406	428	579	600
संघीय आबकारी शुल्क	258	287	241	484	684
सेवा कर	333	406	390	622	695
पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	--	--	--	3	--
संघीय करों /शुल्क में राज्य का अंश	**2282**	**2491**	**2644**	**3611**	**4344**
कुल कर राजस्व	**6908**	**7612**	**8584**	**10307**	**11383**
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	33	33	31	35	38

2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजना स्कीमों, केन्द्रगत योजना स्कीमों तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य गैर-योजना अनुदान समाहित हैं वर्ष 2016-17 के दौरान सहायता-अनुदान के अधीन कुल प्राप्तियां ₹ 13164 करोड थी, जैसा निम्न दर्शाया गया है :-

सहायता अनुदान

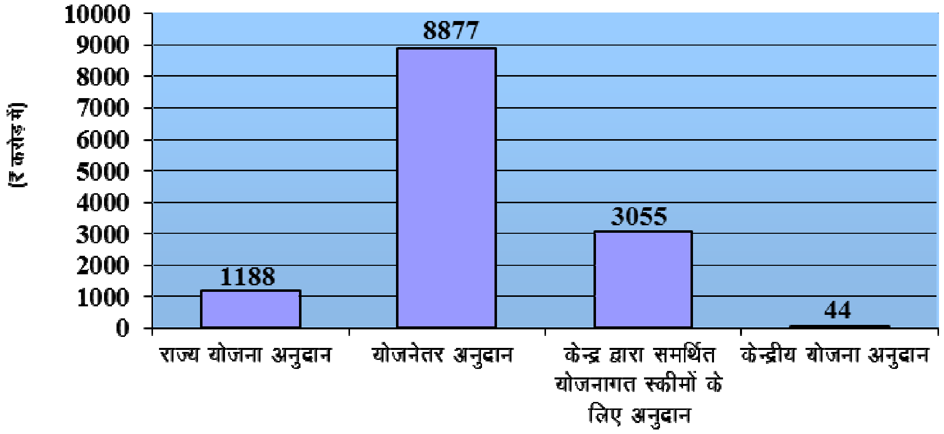

सकल सहायता अनुदानों में गैर योजना अनुदानों के मात्र में वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान 75 प्रतिशत की कमी जबकि योनगागत स्कीमों हेतू वर्ष 2015-16 से 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वर्ष 2016-17 में बढकर 9 प्रतिशत हो गई।

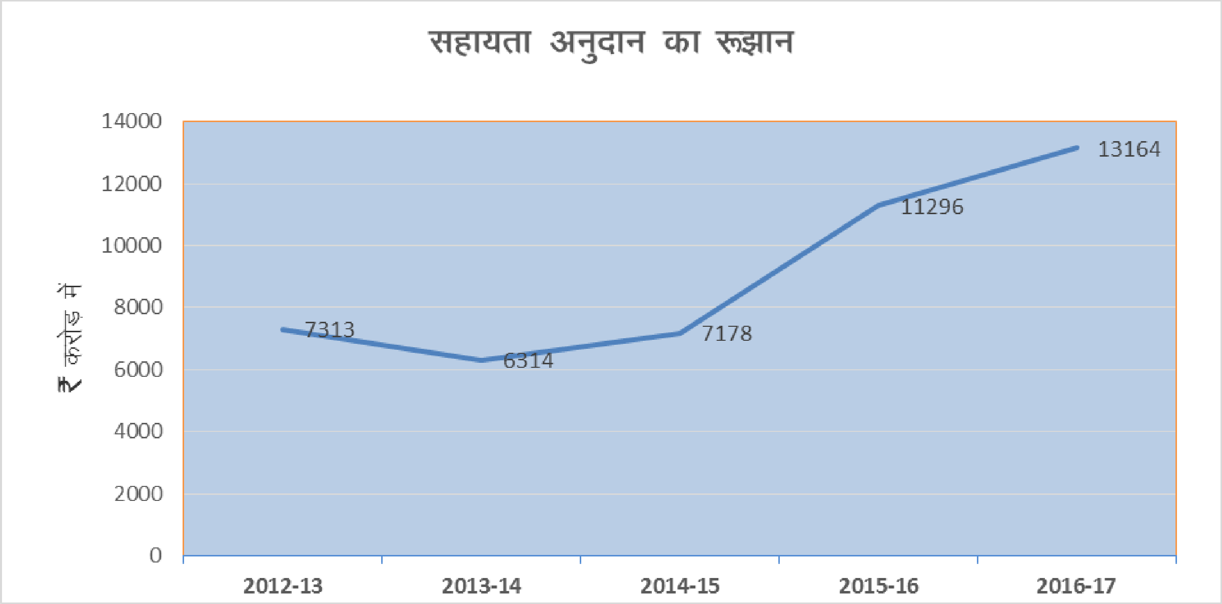

2.7 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आन्तरिक ऋण	19747	22099	24658	26861	31494
केन्द्रीय ऋण	1018	1012	1071	1049	1076
कुल जोड़	20765	23111	25729	27910	32570

वर्ष 2016-17 में ₹ 3400 करोड़ के पांच ऋण 7.17 *प्रतिशत* से 7.91 *प्रतिशत* की ब्याज की दर से खुला-बाजार से लिए गए थे जो वर्ष 2016-17 से 2025-27 के बीच में प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 541 करोड़ तथा ₹ 2890 करोड़ उज्जवला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का ऋण लिया। भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 1671 करोड़ आर्थोपाय अग्रिम लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में कुल आन्तरिक ऋण ₹ 8502 करोड़ लिया गया। सरकार ने ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 101 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया।

अध्याय III

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यय को और आगे योजनागत तथा योजनेतर के अधीन वर्गीकृत किया गया।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा जा सकता है:- सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। इन खण्डों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

सामान्य सेवाएं	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, ब्याज, पैन्शन इत्यादि
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, जल वितरण इत्यादि
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि

3.2 राजस्व व्यय

बजट प्राक्कलनों के सम्मुख राजस्व व्यय के आधिक्य, जो बिगत पाँच वर्षों के दौरान हुआ, को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बजट प्राक्कलन	15969	17647	19784	23488	26746
वास्तविक आंकड़े	16174	17352	19787	22303	25344
अन्तर	205	(-)295	(+)3	(-)1185	(-)1402
बजट प्राक्कलनों से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	1	(-)2	-	(-)5	(-)5

राजस्व व्यय का लगभग 71 प्रतिशत वेतन व मजदूरी (₹ 9682 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 3359 करोड़), पैंशन (₹ 4114 करोड़) तथा उपदान (₹ 764 करोड़) पर किया गया जो कि राज्य सरकार की ‘ प्रतिबद्ध व्यय’ थी।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल राजस्व व्यय	16174	17352	19787	22303	25344
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	12939	13348	14982	16511	17919
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	*80*	*77*	*76*	*74*	*71*
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	3235	4004	4805	5792	7425

प्रतिबद्ध राजस्व ब्याज में वेतन व मजदूरी, ब्याज भुगतान पैंशन तथा अनुदान सम्मिलित हैं।

यह देखा गया है क विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिवद्ध राजस्व व्यय में वर्ष 2012-13 में 3235 करोड़ से वर्ष 2016-17 में 7425 करोड़ 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्यय में वर्ष 2012-13 में 16174 करोड़ से वर्ष 2016-17 में 25344 करोड़ 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 38 प्रतिशत का आवर्धन हुआ।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र वार विवरण (2016-17)

(₹ करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशतता
क. राज्य के अंग	**258**	**1**
ख. राजकोषीय सेवाएं	**242**	**1**
(i) सम्पत्ति व पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	186	1
(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	55	--
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	1	--
ग. ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवा	**3359**	**13**
घ. प्रशासनिक सेवाएं	**1731**	**7**
ड. पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	**4138**	**16**
च. सामाजिक सेवाएं	**9610**	**38**
छ. आर्थिक सेवाएं	**5996**	**24**
ज. सहायता अनुदान (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिपूर्ति अैर सहायता)	**10**	**--**
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**25344**	**100**

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक 2012-13 से 2016-17

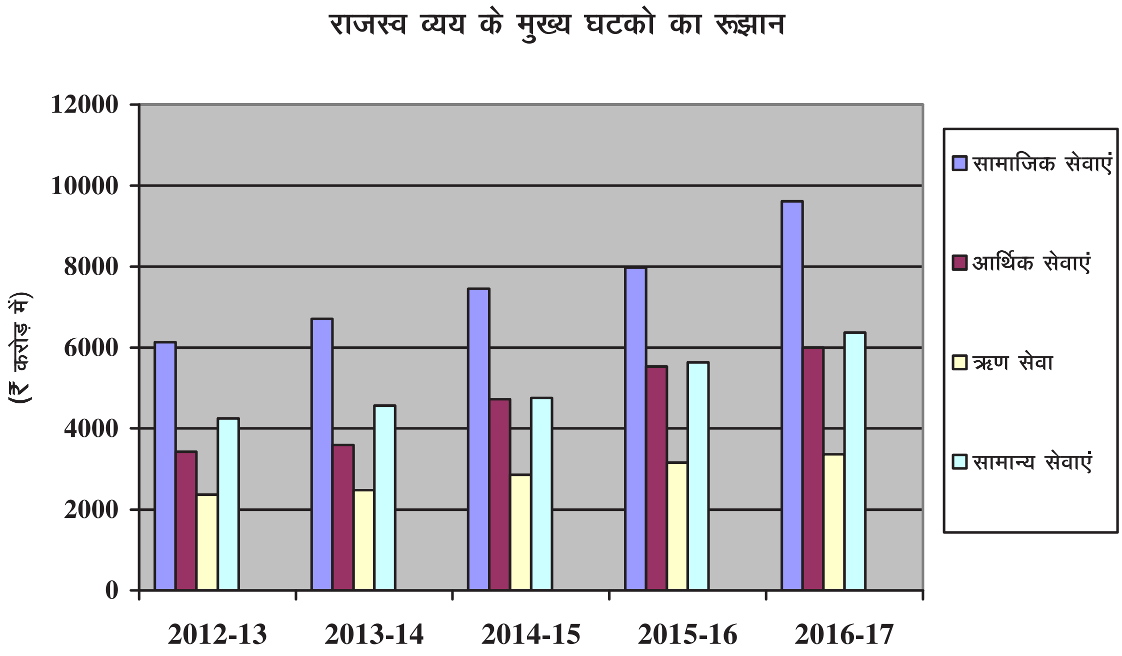

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है यदि वृद्धि प्रक्रिया लगातार बने रहती है। वर्ष 2016-17 में ₹ 3499 करोड के पूंजीगत संवितरण (जी एस डी पी के 3 *प्रतिशत*) बजट प्राक्कलनों से ₹ 308 करोड अधिक थे (योजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹ 275 करोड का अधिक संवितरण तथा योजनेतर व्यय के अधीन ₹ 33 करोड का अधिक व्यय)। वर्ष 2012-13 से पूंजीगत व्यय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समान्तर वृद्धि नही की तथा लगभग स्थिर रही। नीचे सारणी से यह प्रतीत होता है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	बजट प्राक्कलन	1970	2063	1952	2951	3190
2	वास्तविक व्यय (#)	1955	1856	2473	2864	3499
3	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	99	90	127	97	110
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक बढौतरी	8%	(-)5%	33%	16%	22%
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	72076	82585	95587	110511	124570
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक बढौतरी	14%	15%.	16%	16%	13%

पूंजीगत परिव्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 *पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण*

2016-17 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न सिचाई परियोजनाओं पर ₹ 110 करोड का व्यय किया गया। (₹ 80 करोड़ लघु सिंचाई तथा मध्यम सिंचाई पर ₹ 30 करोड)। उपरोक्त के अलावा सरकार ने सड़कों तथा भवनों के निर्माण पर ₹ 1458 करोड का खर्च किया तथा सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹ 99 करोड़, सरकारी अन्य कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 156 करोड़, का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी समितियों के द्वारा ₹ 30 करोड़, की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2. *पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण*

विगत पांच वर्षो में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(क)	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	74	81	83	88	208
		राजस्व	6618	7047	7604	8789	9728
(ख)	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	436	477	522	792	1041
		राजस्व	6131	6706	7451	7980	9610
(ग)	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	1445	1297	1868	1984	2250
		राजस्व	3418	3590	4723	5524	5996
(घ)	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	--	--	--	--	--
		राजस्व	7	9	9	10	10

अध्याय IV

योजनागत तथा योजनेतर व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2016-17)

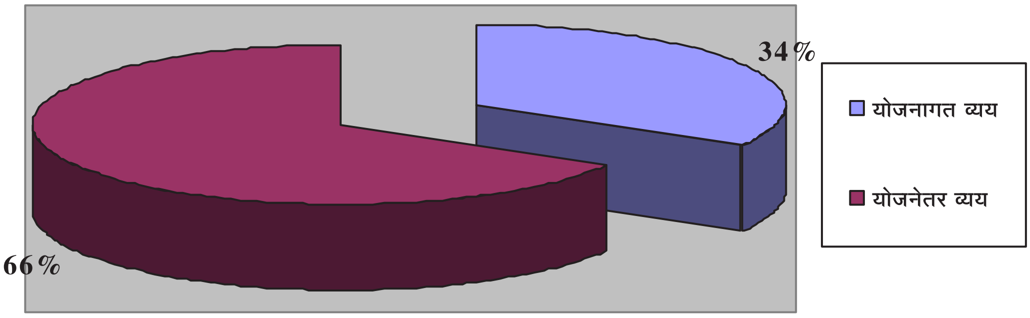

4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान योजनागत व्यय (राजस्व, पूंजीगत, ऋण व अग्रिम) ₹ 10795 करोड़ था जोकि कुल व्यय ₹ 32133 करोड़ का 34 प्रतिशत है, इसमें राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 4196 करोड़ केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय योजना ₹ 3439 करोड़ एवं ऋण व अग्रिम ₹ 3160 करोड़ है ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में योजनागत व्यय की प्रतिशतता

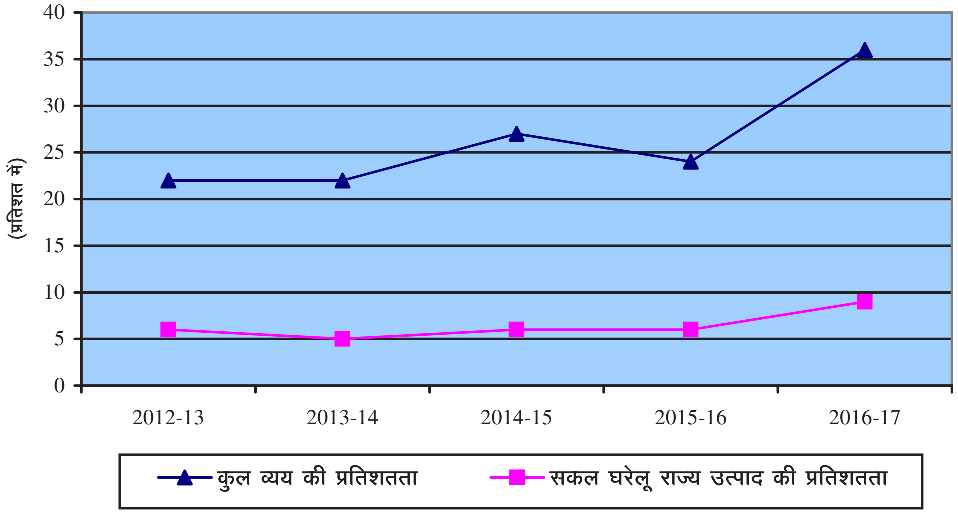

राजस्व-क्षेत्र के अधीन योजनागत व्यय में 2015-16 में ₹ 3493 करोड़ से वर्ष 2016-17 में ₹ 4520 करोड़,, 29 *प्रतिशत* तक की वृद्धि हुई। पूंजीगत क्षेत्रों में यह वृद्धि वर्ष 2015-16 में ₹ 2568 करोड़ से वर्ष 2016-17 में ₹ 3115 करोड़ तक 21 *प्रतिशत* रही, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना (राजस्व ₹ 2666 करोड़ तथा पूंजीगत ₹ 773 करोड़) में योजनागत व्यय पर वर्ष 2015-16 में ₹ 2077 करोड़ से वर्ष 2016-17 में ₹ 3439 करोड़ की वृद्धि हुई।

4.2.1 पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल पूंजीगत व्यय	2424	2387	2947	2864	3499
पूंजीगत व्यय (योजनागत)	2020	2025	2884	2764	6275*
कुल पूंजीगत व्यय से पूंजीगत व्यय (योजनागत) की प्रतिशतता	83	85	98	97	89

*ऋणों व अग्रिम के ₹ 3160 करोड़ शामिल है।

4.2.2 पूंजीगत ऋणों तथा अग्रिमों पर योजनागत व्यय

ऋणों व अग्रिम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संवितरण निम्न प्रकार से है :

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	राशि	उद्देशय
6801 विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	3118#	विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को ऋण
7610 सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	2	सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम
योग	**3120**	

इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को (उदय) बिजली वितरण कम्पनियों को पुरूस्थान पैकेज के अर्न्तगत ₹ 2890 करोड़ सम्मिलित है।

4.3 आयोजनेतर व्यय

वर्ष 2016-17 का आयोजनेतर व्यय ₹ 21338 करोड़ (दोनों राजस्व तथा पूंजीगत ऋण एवं अग्रिम) जो कि कुल व्यय ₹ 32133 करोड़ का 66 *प्रतिशत* था। इसमें राज्य आयोजनेतर के अन्तर्गत ₹ 21181 करोड़ केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय आयोजनेतर योजना ₹ 27 करोड़ एवं ऋण व अग्रिम ₹ 130 करोड़ है । वेतन तथा मजदूरी पर खर्च ₹ 9682 करोड़ कुल आयोजनेतर व्यय का 46 *प्रतिशत* है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में आयोजनेतर व्यय की प्रतिशतता

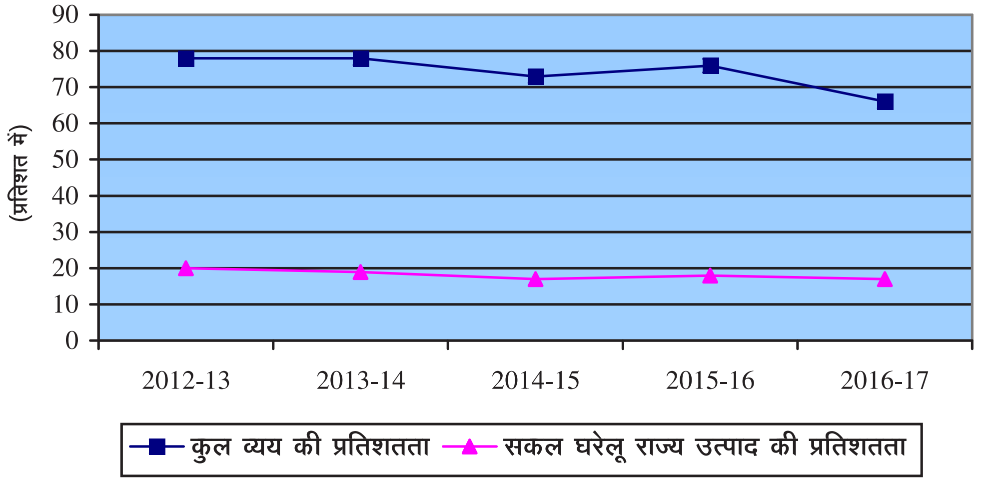

4.4 प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले वेतन, पैंशन तथा ब्याज पर व्यय में वृद्धि हुई जो मुख्यतः वेतन तथा पैंशन के पुनर्निर्धारण के कारण हुई।

प्रतिबद्ध व्यय का रूझान

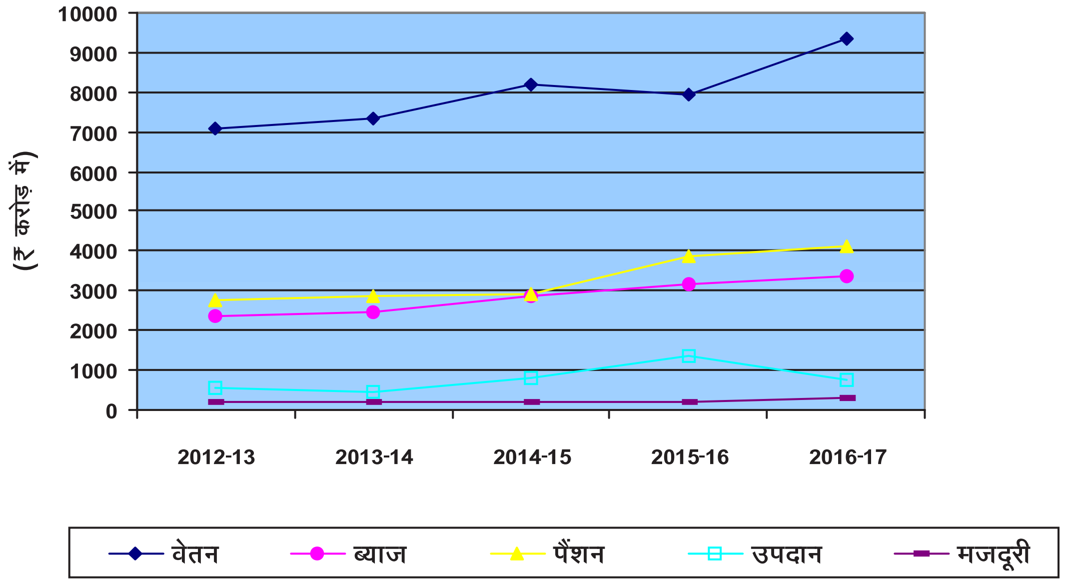

विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रतिबद्ध व्यय के साथ तुलनात्मक रूझान निम्न प्रकार से है।

(₹ करोड़ में)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रतिबद्ध व्यय	12939	13348	14982	16511	17919
राजस्व व्यय	16174	17352	19787	22303	25344
राजस्व प्राप्तियां	15598	15711	17843	23440	26264
कुल राजस्व प्राप्तियों से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	83	85	84	70	68
कुल राजस्व व्यय से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	80	77	76	74	71

वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक प्रतिबद्ध व्यय में बढोतरी 38 *प्रतिशत* रही, जबकि उसी समय में राजस्व व्यय में बढोतरी 57 *प्रतिशत* रही जिस कारण विकास कार्यों पर व्यय हेतु सरकार के पास कम धन उपलब्ध रहा ।

अध्याय V

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2016-17 के लिए विनियोग लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	राजस्व दत्तमत *प्रभारित*	23291 3455	1503 5	280 86	24514 3374	21933 3411	(-)2581 (+) 37
2.	पूंजीगत दत्तमत *प्रभारित*	3191 --	581 74	416 --	3356 74	3457 42	(+)101 (-)32
3.	लोक ऋण *प्रभारित*	2229	1660	2	3887	3943	(+)56
4.	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत	428	114	141	401	3290	(+)2889
	योग	26910 5684	2198 1739	837 88	28271 7335	28680 7396	(+)409 (+)61

5.2 विगत पांच वर्षों में बचत /आधिक्य का रुझान

(₹ करोड़ में)

	बचत (-) आधिक्य (+)				
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2012-13	(-)1169	(-)41	(+) 180	(+)94	(-)936
2013-14	(-)1670	(-)70	(-)220	(+)81	(-)1879
2014-15	(-)1465	(-)73	(+)967	(+)87	(-)484
2015-16	(+)31	(+)35	(+)2319	(+)138	(+)2523
2016-17	(-)2544	(+)69	(+)56	(+)2889	(+)470

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत, कुछ निश्चित स्कीमों/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन को दर्शाती है। निरन्तर तथा महत्वपूर्ण बचत वाले एक करोड़ से अधिक कुछ अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	स्वरूप	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
3	न्याय प्रशासन	15	17	6	13	15
4	सामान्य प्रशासन	4	--	12	17	13
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	27	--	36	--	87
6	आबकारी एवं	--	--	--	4	2
7	पुलिस और सम्बन्ध संगठन	3	22	10	73	51
8	शिक्षा	120	343	385	1076	866
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	64	117	158	367	299
10	लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन	45	77	18	78	46
11	कृषि	--	--	--	38	27
14	पशुपालन, डेरी विकास एवं मत्स्य	--	17	7	35	35
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	19	22	12	31	47
16	वन और वन्य जीवन	10	7	3	33	61
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रद्यौगिका	--	12	5	12	9
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	--	--	--	47	25
20	ग्रामीण विकास	--	60	110	209	122
21	सहकारिता	--	4	5	8	10
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	--	11	28	48	41
23	विद्युत विकास	40	283	--	1	146
25	सड़क एवं जल परिवहन				1	1
27	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	--	79	62	64	77
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	8	--	6	--	42
29	वित्त	38	496	587	229	87
30	विभिन्न सामान्य सेवाए	--	--	--	14	14
31	जनजातीय विकास	33	72	13	123	198
32	अनुसूचित जाति उपयोजना	84	107	26	32	420

शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय विकास के अधीन निरन्तर व्यापक बचत, स्कीमों को क्रियान्वयन के दौरान कम-प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विद्यायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बजट-प्राकलन में बढौतरी करके या अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने हेतू सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुपूरक अनुदान की कुल राशि ₹ 3937 करोड़ (कुल व्यय का 10.17 *प्रतिशत*) कुछ मामलों में अनावश्यक सिद्ध हुई। वर्ष के अन्त में मूल बजट के विरूद्ध हुई बचत के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
5	2029-भू-राजस्व- 103-भू-अभिलेख- 01-अधीक्षण- आयोजनेतर	राजस्व	3	0	2
5	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत- *02-बाढ़, चक्रवात इत्यादि-* 113-घरों की मरम्मत एवं पुनः स्थापन हेतु अनुदान- 01-घरों की मरम्मत और निर्माण पर व्यय- योजनागत	राजस्व	0	6	5
10	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय- *03-राज्य राजमार्ग-* 337-सड़क निर्माण कार्य- 04-केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण- योजनागत	पूंजीगत	20	45	43
10	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 02-ग्रामीण सड़कों का निर्माण आयोजनेतर	पूंजीगत	0	35	27
10	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 15- मध्यस्थता मामलों के लिए भुगतान (सड़कें एवं पुल)- योजनागत	पूंजीगत	0	24	--

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
12	2401-फसल कृषि-कर्म- 119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें- 56-उधान एकीकृत विकास मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत	राजस्व	21	0	18
13	2215-जलापूर्ति तथा सफाई- *01-जलापूर्ति -* 102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम- 03-विविध लोक निर्माण अग्रिम- आयोजनेतर	राजस्व	654	96	609
13	2702-लघु सिंचाई- 03-रखरखाव 102-उठाऊ सिंचाईं योजनाएं- 01-अन्य रखरखाव व्यय- आयोजनेतर	राजस्व	53	54	106
21	2425- सहकारिता 001- निदेशन तथा प्रशासन- 02- जिला कर्मचारी वर्ग	राजस्व	21	1	15

अनुपूरक अनुदान के आबंटन के बाबजूद भी वर्ष के अन्त में व्यय के आधिक्य के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
3	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन- 051-निर्माण- 15-न्यायपालिका का अधतन	पूंजीगत	2	1	4
5	2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण- *02-स्टाम्प न्यायिकेतर-* 101-स्टाम्पों की लागत- 01-केन्द्रीय भण्डार नासिक- आयोजनेतर	राजस्व	2	11	23
30	2220- सूचना तथा प्रचार- *60- अन्य-* 101- विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार- 01- विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार- पर व्यय-	राजस्व	12	10	24

₹ 2 करोड़ के व्यय के 2 मामलो को, जिनमें निधियाँ, विधायिका को दरकिनार करते हुये अर्थात मूल/अनुपूरक बजट की बजाय पुनर्विनियोजन द्वारा सीधे आबंटित कर दी गयी थी, निम्नलिखित हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय
06	2039-राज्य उत्पाद शुल्क - 104-मदिरा और स्पिरिट की खरीद- 01-हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ को सहायता- आयोजनेतर	राजस्व	--	--	1	1
16	2406-वानिकी और वन्य प्राणी- *02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-* 110-वन्य जीव परिक्षण- 10-राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास लिए सहायता-	राजस्व	--	--	1	1

अध्याय VI

परिसम्पतियां तथा दायित्व

6.1 परिसम्पतियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्याकंन को, अर्जन/खरीद के विभेद के सिवाय, इतनी सुगमता से नहीं दर्शाता । इसी प्रकार जैसाकि लेखे चालू-वर्ष के प्रतिवद्धता के प्रभाव को प्रदर्शित करते है, पर वे भावी पीढी पर दायित्वों पर समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते।

गैर वित्तिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी0 एस0 यू0) में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश वर्ष 2016-17 के अन्त में 2464 करोड़ था। जबकि वर्ष के दौरान कुल निवेश (3294 करोड़) पर प्राप्त लाभाँश 290 करोड़ (9 प्रतिशत) प्राप्त हुआ। वर्ष 2016-17 के अन्त तक निवेश में 253 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि लाभाँश में 178 करोड़ की वृद्धि हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक का नकदी शेष 01 अप्रैल 2016 को ₹ (-)341 करोड़ था जो मार्च 2017 के अन्त तक बढ़कर ₹ (-)443 करोड़ हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 में सरकार ने 108 तात्कालिक अवसरो पर ₹ 24777 करोड़ 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹ 492 करोड़ 91 दिनों के खजाना बिलों तथा 187 अवसरों पर ₹ 24575 करोड़ तथा ₹ 492 करोड़ के मूल्य का 1 अवसर पर पुनः बटटा चुकाया। नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2016-17 के दौरान निवेश की स्थिति को दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष निवेश			
1 अप्रैल 2016 को शेष	2016-17 के दौरान खरीद	2016-17 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2017 को अन्तिम शेष
557	25269	25067	759

6.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार बाजार से किस सीमा तक उधारी कर सकती है। वर्ष 2016-17 के लिए सीमा ₹ 3400 करोड़ थी । वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले बाजार से ₹ 3400 करोड़ की उधारी की ।

लोक ऋणों तथा राज्य सरकार के समस्त दायित्व का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता	लोक ऋण (*)	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता	कुल दायित्व	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता
2012-13	20765	*29*	9677	*13*	30442	*42*
2013-14	23111	*28*	10773	*13*	33884	*41*
2014-15	25729	*27*	12463	*13*	38192	*40*
2015-16	27910	*25*	13287	*12*	41197	*37*
2016-17	32570	*26*	14674	*12*	47244	*38*

(*) उचन्त तथा सम्प्रेषण शेष रहित ।

टिप्पणी: आंकड़े वर्ष के अन्त के उतरोत्तर शेष है।

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पिछले वर्ष से ₹ 6047 करोड़ (15 *प्रतिशत*) की शुद्ध बढ़ोतरी दर्शायी गयी।

सरकारी देनदारियों का रूझान

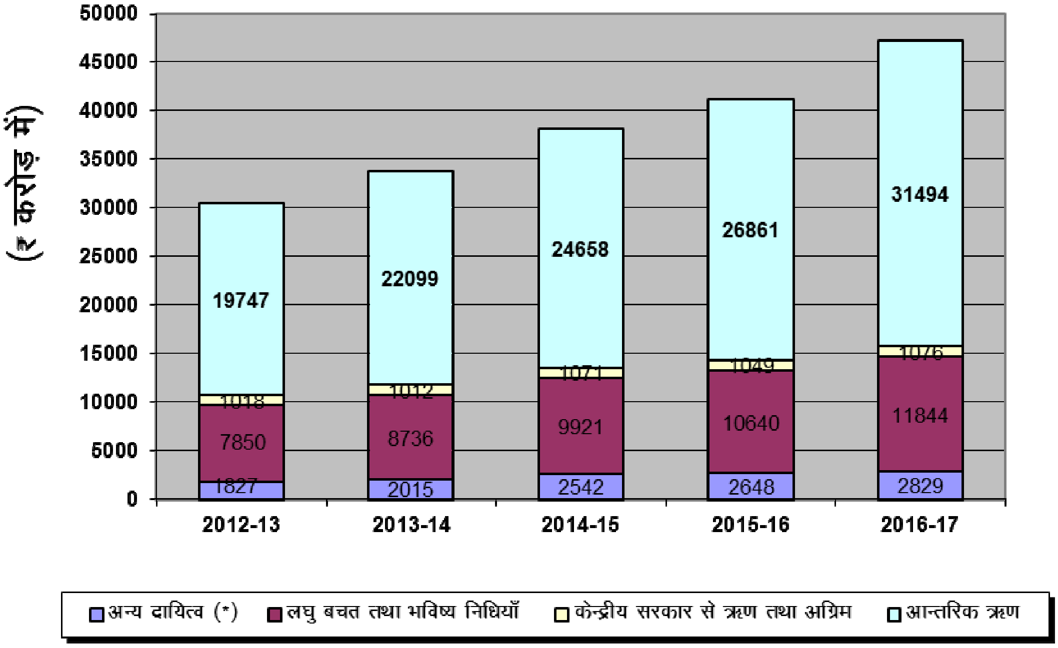

(*) स्थानीय निधियों, अन्य चिन्हित निधियों आदि के जमा जैसी ब्याज तथा ब्याज रहित बाध्यताएं ।

6.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थान से सरकारी कम्पनियों तथा निगम द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती हैं। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। वैद्यानिक निगम, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त तक	प्रत्याभूति अधिकतम राशि (मूलधन केवल)	वर्ष के अन्त तक बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2012-13	9455	3353*	…
2013-14	9316	4333*	…
2014-15	9316	4281*	…
2015-16	9658	3714*	…
2016-17	12320	4550*	---

* मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।

अध्याय VII

अन्य मदें

7.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार की किताबों में ये प्रकट नहीं होते। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की न्यून-तालिका प्रदर्शित होती रही हैं । 31 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे ।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

वर्ष 2016-17 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 6044 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त-निकायों को ₹ 3290 करोड़ की राशि के ऋण तथा अग्रिम दिए गए । 31 मार्च 2017 के अन्त में ₹ 121 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी प्रदान नही की गई थी। वर्ष 2016-17 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की प्राप्ति केवल ₹ 29 करोड़ ही हो पाई, जिसमें से ₹ 9 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वापसी से सम्बन्धित है । बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगे।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

पिछले पांच वर्षो के दौरान स्थानीय निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों में वर्ष 2012-13 में ₹ 1203 करोड़ से वर्ष 2016-17 में ₹ 3357 करोड़ की वृद्धि हुई। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर-निगम व नगरपालिकाओं को दिए गए अनुदान (₹ 1242 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 37 प्रतिशत है।

बिगत पांच वर्षो के सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है : -

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्थानों के नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	जिला परिषद एव पंचायती राज संस्था	262	327	781	427	697
2	नगर निगम एवं नगर पालिका	173	282	202	320	545
3	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	401	447	597	661	836
4	विकास एजेंसी	43	52	56	110	172
5	अस्पताल एवं अन्य धर्माथ संस्थानों	86	95	110	277	230
6	अन्य संस्थान	238	235	410	817	877
	जोड़	**1203**	**1438**	**2156**	**2612**	**3357***

* पूंजीगत व्यय में ₹ 2 करोड़ सहायता अनुदान शामिल है

7.4 रोकड शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1अप्रैल 2016 की स्थिती	31 मार्च 2017 की स्थिती	निवल बढोतरी(+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	341	443	(+)102
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	--	--	--
चिन्हित निधियों से निवेश	--	--	--
(क) निक्षेप निधि	--	--	--
(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि	--	--	--
वर्ष के दौरान ब्याज वसूली	40	53	(+)13

सरकार के पास 31 मार्च 2017 के अन्त में नकारात्मक रोकड़ शेष पड़ा था। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्तियों में (₹ 40 करोड़ से ₹ 53 करोड़) 32.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.5 लेखाओं का समाधान

मुख्य नियन्त्रक अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का समाधान महालेखाकार द्वारा लेखाबद्व किए गए आंकड़ों के साथ करें। सभी मुख्य नियन्त्रक अधिकारियों/नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा समाधान पूर्ण कर लिया गया है।

7.6 लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रेषण

हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्राप्तियों एंव व्यय के लेखाओं को 17 जिला कोषागारों, 77 लोक निर्माण मण्डलों, 89 वन मण्डलों, 53 सिंचाई मण्डलों द्वारा प्रेषित प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों के आधार पर संकलित किया गया है। लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा प्रेषित लेखे संतोषजनक थे तथा किसी भी लेखे को वितीय वर्ष के अन्त में असमायोजित नहीं रखा गया।

7.7 अग्रिम भुगतान

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपेक्षित राशि को अग्रिम आहरण करने की अनुमति दी गई है तथा बाद में प्रेषण द्वारा समायोजन किया जाना आवश्यक है। यद्यपि राज्य सरकार ने ऐसे समायोजन वाउचरों के लिए कोई भी प्रणाली नहीं बनाई है जिसके चलते महालेखाकार महोदय को यह प्रमाणित करने में कठिनाई होती है कि सभी अग्रिमों का समायोजन कर दिया गया है और किसी भी प्रकार का कोई भी अनियमिता/ग़बन नहीं हुई है। पिछले कई वर्षो से महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार से आकस्मिकता बिल की प्रणाली तथा साथ ही साथ विस्तृत आकस्मिकता बिल की प्रणाली अपनाने का निवेदन कर चुके हैं, जैसा कि केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्यों में होता है परन्तु यह मुददा हल नहीं हो पाया है। यद्यपि वर्ष 2017-18 से आगे राज्य सरकार ने आकस्मिकता बिल के लिए विभाग प्राधिकृत कर लिए है।

7.8 उचन्त शेषों की स्थिति

मुख्य शीर्ष 8658 - उचन्त लेखा के अन्तर्गत बकाया शेषों का विवरण निम्न हैः-

लघु शीर्ष का नाम	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658-उचन्त लेखा										
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त	32	24	36	18	45	23	56	18	77	30
निवल	8 नामे		18 नामे		22 नामे		38 नामे		47 नामे	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	138	125	145	142	139	132	195	212	275	275
निवल	13 नामे		3 नामे		7 नामे		17 जमा		शून्य	

लघु शीर्ष का नाम	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
110-भारतीय रिजर्व बैंक उचन्त	92	92	36	9	36	36	0	0	0	0
निवल	शून्य		27 नामे		शून्य		शून्य		शून्य	
112-स्त्रोत पर कर कटौती उचन्त	227	255	243	275	264	286	285	303	380	395
निवल	28 जमा		32 जमा		22 जमा		18 जमा		15 जमा	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	80	332	61	343	69	371	144	407	176	399
निवल	252 जमा		282 जमा		302 जमा		263 जमा		223 जमा	

7.9 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत अनुदानों के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण निम्न है:-

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र	राशि (₹ करोड़ में)
2014-2015 तक	1531	1672
2015-2016	1056	1238
2016-17	2475	2450
जोड़	**5062**	**5360**

7.10 अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यो बारे वचनबद्धता

विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा ₹ 281 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के सम्मुख वर्ष 2016-17 तक के वित्त लेखे के खण्ड- II में दिए गए परिशिष्ट IX के अनुसार ₹ 188 करोड़ का कुल व्यय किया गया था।

विभिन्न परियोजनाओं पर मूल अनुमानित लागत (₹ 281 करोड़) में 6 प्रतिशत का आवर्धन हुआ। अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रतिबद्धताओं पर संक्षिप्त दृष्टिकोण इस प्रकार हैः-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य का श्रेणी (काय की संख्या)	निर्माण कार्य की लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान अद्यतन व्यय	बकाया राशियां	संशोधन के उपरान्त निर्माण कार्य की लागत
1	मल निकास स्कीम (5)	31	1	44	--	35
2	जलापूर्ति स्कीम(3)	54	2	56	--	54
3	भवन कार्य (4)	196	35	88	--	196
	जोड़	**281**	**38**	**188**	**--**	**285**

© भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
2017
www.cag.gov.in

www aghp cag gov in